न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

नाथू सिंह बनाम भंवर सिंह

दावा मु.नं. - 180/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
27.04.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील वादीगण बहस हेतु अवसर चाहते है। बहस हेतु अवसर दिया जाता है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 14.06.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
14.06.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादीगण बहस हेतु अवसर चाहते है। बहस हेतु न्यायहित में अवसर दिया जाता है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 17.07.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
17.07.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकील वादीगण ने आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण ने बहस सुनी जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की। वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 28.08.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
28.08.2023	पत्रावली आज निर्णय / आदेश हेतु पेश हुई। व[illegible] वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार [illegible] जाने योग्य पाये ज[illegible] न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 12:39:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हाल अ.न. - 180/17	
	मै मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 28/08/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 12:39:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राजस्थान,
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
180 / 2017	2017 / 0043	13.11.2017	28.08.2023

उनवान प्रकरण

1. नाथूसिंह पुत्र स्व0 केशरसिह
2. भवानीसिंह पुत्र स्व0 केशरसिंह
3. राजेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 केशरसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण वार्ड नम्बर 6 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—वादीगण—

बनाम्

1. भंवरसिंह पुत्र बदनसिंह
2. **अनोपसिंह पुत्र भगवतसिंह मृत्तक के बजाय :–**

2/1. गुलाब कंवर पुत्री स्व0 अनोपसिंह जाति राजपूत निवासी जालपाली श्रीमाधोपुर हाल निवासी मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

2/2. राजेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 अनोपसिंह जाति राजपूत निवासी जालपाली श्रीमाधोपुर जिला सीकर

2/3. करणसिंह पुत्र स्व0 अनोप[illegible] राजपूत निवासी वार्ड नम्बर 10 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीक[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 12:39:37 IST
Reason: SelfAttested

28/08/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

2/4 सोनकवर पुत्री स्व0 अनोपसिंह जाति राजपूत निवासी जालपाली श्रीमाधोपुर हाल निवासी मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

2/5 रणजीतसिंह पुत्र स्व0 अनोपसिंह

2/6 मूली कवर पुत्री स्व0 अनोपसिंह

2/7 सोहनसिंह पुत्र स्व0 अनोपसिंह

2/8 मोहनसिंह पुत्र स्व0 अनोपसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण जालपाली श्रीमाधोपुर हाल निवासीगण मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

3 जसवंतसिंह पुत्र भगवतसिंह

4 बलवीरसिंह पुत्र भगवतसिंह

5 लिछमणसिंह पुत्र भगवतसिंह

6 प्रहलादसिंह पुत्र सिछपालसिंह

7 जमनसिंह पुत्र सिछपालसिंह

8 सहदेवसिंह पुत्र सिछपालसिंह

9 उम्मेदसिंह पुत्र सिछपालसिंह

10 सायरसिंह पुत्र सिछपालसिंह

11 सुमन कवर पुत्री भगवतसिंह

12 हनुमानसिंह पुत्र भवरसिंह

13 गुलाबसिंह पुत्र भवरसिंह

14 रणवीरसिंह पुत्र भवरसिंह

15 किरण कवर पुत्री भवरसिंह

16 मैन्द कवर पत्नि गुमानसिंह

17 दिलीपसिंह पुत्र गुमानसिंह

18 करतारसिंह पुत्र गुमानसिंह

19 सरोज कवर पुत्री गुमानसिंह

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 12:39:37 IST
Reason: SelfAttested

28/08/17
(द्वितीय सिह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (श्रीमाधोपुर)

समस्त जाति राजपूत निवासीगण वार्ड नम्बर 5 जलमाली श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

20 लक्ष्मी कंवर पत्नि स्व0 दुर्जनसिंह

21 महेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 दुर्जनसिंह

22 नैनसिंह पुत्र स्व0 दुर्जनसिंह

23 नरेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 दुर्जनसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण वार्ड नम्बर 6 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

24 शंकरलाल पुत्र प्रभुदयाल

25 ब्रजेन्द्र कुमार पुत्र शिवप्रसाद

समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण गांधी कॉलोनी श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

26 विमला देवी पत्नि जयप्रकाश

27 सुशील कुमार पुत्र जयप्रकाश

28 मदन कुमार पुत्र जयप्रकाश

29 सतीश कुमार पुत्र जयप्रकाश

30 दिलीप कुमार पुत्र जयप्रकाश

31 जगतसिंह पुत्र सीताराम

समस्त जाति कुमावत निवासीगण वार्ड नम्बर 22 चौधरी धर्मशाला के पास श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

32 भानु कंवर पुत्री स्व0 केशरसिंह

33 मंजु कंवर पुत्री स्व0 केशरसिंह

34 पर्मी कंवर पुत्री स्व0 केशरसिंह

35 कृष्णा कंवर पुत्री स्व0 केशरसिंह

36 [illegible] कंवर पत्नि स्व0 केशरसिंह [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 12:39:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

समस्त जाति राजपूत निवासीगण वार्ड नम्बर 6 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

37. किशनसिंह दत्तक पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी आनपाली श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

38. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितः—

श्री कानाराम पूनियां, एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका, एड0 प्रतिवादी संख्या 20 ता 23, 25 की ओर से अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 38 की ओर से।

वादपत्र बाबत उद्‌घोषणा, दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड एंव स्थायी निषेधाज्ञा
अंतर्गत धारा 88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 765/1 रकबा 0.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 764 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 755 रकबा 0.17 हैक्टर तन् ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित है। जिसका वर्तमान राजस्व रिकार्ड वादीगण के मृतक पिता व मृतक दादी के नाम व प्रतिवादीगण के नाम चला आ रहा ... कि गलत है तथा उपरोक्त भूमिया वादीगण एव प्रतिवादीगण की संयुक्त परिवार की पैतृक ... है। जिनका आपस में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 12:39:37 IST
Reason: SelfAttested

28/08/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

पक्षकारान ने बाहमी बंटवारा मौके पर कर रखा है। जिसके अनुसार वादीगण भूमि खसरा नम्बर 765/1 रकबा 0.60 हैक्टर मे से 0.37 हैक्टर पूर्वी दिशा व खसरा नम्बर 764 सम्पूर्ण व 755 रकबा 0.17 हैक्टर सम्पूर्ण पर वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उक्तानुसार ही वादीगण व इनके पूर्वज वक्त बुजुर्गान के समय से काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई कब्जा काश्त कभी भी नही रहा है। केवल मात्र खातेदारी गलत रूप से दर्ज चली आ रही हैं तथा भूमि खसरा नम्बर 765/1 रकबा 0.62 हैक्टर पूर्व में रकबा था तथा उक्त भूमि में से 0.02 हैक्टर नगरपालिका श्रीमाधोपुर के नाम अंकित हो गयी है तथा शेष 0.60 हैक्टर भूमि में से 0.16 हैक्टर पश्चिमी दिशा की प्रतिवादीगण नम्बर 20 ता 23 के हिस्से में आयी है। जिस पर प्रतिवादीगण नम्बर 20 ता 23 वक्त बुजुर्गान के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा अब 0.44 हैक्टर में से 0.07 हैक्टर भूमि वादीगण के पूर्वजो ने दीगर व्यक्तियों को पूर्व में बेचान कर दी थी। जिस पर वे काबिज काश्त चले आ रहे हैं। इस प्रकार शेष 0.37 हैक्टर भूमि पर वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 23 व 32 ता 36 एक ही परिवार के सदस्य हैं। उक्त वर्णित भूमि को वादीगण पूर्णतया काबिज काश्त होकर निरन्तर काबिज चले आ रहे हैं। इस कारण उक्त लम्बे कब्जे के आधार पर विपरीत कब्जा के सिद्धान्त पर भी वादीगण कानूनन उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुके है और उक्त खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने के वादीगण कानूनन अधिकारी हैं। वादीगण के कब्जे काश्त व अधिकार की भूमि का खाता वादीगण के नाम दर्ज नही होने से वादीगण को सख्त हकतल्फी है। राज्य सरकार द्वारा खातेदारो को दी जाने वाली सुख[illegible] से भी वादीगण को वंचित रहना पड रहा है। जबकि वादीगण ने उक्त भूमि[illegible] उन्नत एव उपजाउ बनाया [illegible] ही है। इसलिए [illegible] तथा वादीगण की आजीविका [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 12:39:37 IST
Reason: SelfAttested

(उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) — seal)

28/08/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

वादीगण उक्त भूमि के कानूनन खातेदार काश्तकार हो चुके हैं। उक्त भूमि से प्रतिवादीगण
एव दीगर किसी का कोई ताल्लुक किसी किस्म का नही हैं। वादीगण ने पूर्व मे
प्रतिवादीगण को कब्जे के अनुसार खातेदारी दर्ज कराने बाबत कई बार कहा तो हा करते
रहे एव टालते रहे परन्तु अब वर्तमान मे दिनाक 06.11.2017 को इस बाबत कहा तो
उन्होने खातेदारी दर्ज कराने बाबत् स्पष्ट इकार हो गये एव कब्जा काश्त वादीगण मे
मजाहमत करने की एहलानियां धमकी दी। वादकारण दिनांक 06.11.2017 को प्रतिवादीगण
द्वारा वादीगण के नाम खातेदारी दुरूस्त कराने से इन्कार होने व वादीगण के शातिपूर्ण
कब्जे काश्त एवं उपयोग–उपभोग में मजाहमत करने व वादीगण को जोर जबरन ताकत
के बल पर बेदखल करने व दीगर भूमाफियावृत्ति के लोगो को बैचान करने, रहन रखने
तथा भूमियो को खुर्दबुर्द करने तथा कृषि भूमि से अकृषि में तब्दील करने की धमकी देने
पर उत्पन्न हुआ है व लगातार हो रहा हैं। दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न
रूपेण से डिक्री फरमाए जाने का निवेदन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 765 / 1
रकबा 0.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 764 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 755 रकबा 0.17
हैक्टर तन् ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 मे से वादीगण को
भूमि खसरा नम्बर 765 / 1 रकबा 0.60 हैक्टर मे से 0.37 हैक्टर पूर्वी दिशा व खसरा
नम्बर 764 सम्पूर्ण व 755 रकबा 0.17 हैक्टर सम्पूर्ण का खातेदार काश्तकार घोषित किया
जाकर उक्त भूमि से प्रतिवादीगण एव इनके मृत्तक पूर्वज दाखू कवर पत्नि भगवतसिह,
भवरसिह पुत्र भोपालसिह, बदन कवर पत्नि गणपतसिह, केशरसिह पुत्र गणपतसिह,
सीताराम, जयप्रकाश पुत्रगण सुवालाल, सवाईसिह, बदनसिह पुत्रगण पेपसिह, भवरी कवर
पत्नि रिछपालसिह का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड
दुरूस्त फरमाया जावे तथा खसरा नम्बर 765 / 1 ... भूमि मे से 0.16
हैक्टर पश्चिमी दिशा का प्रतिवादी ... रहेगा तथा शेष

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 12:39:37 IST
Reason: SelfAttested

28/08/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

बची 0.07 हैक्टर भूमि का राजस्व रिकार्ड यथावत रखा जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबधित किया जावे कि वे उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 765/1 रकबा 0.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 764 रकबा 0.03 खसरा नम्बर 755 रकबा 0.17 हैक्टर तन ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एवं उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा न स्वयं करें, ना दीगर से करावें। इसलिए दावा पेश करने वहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नम्बर 1, 3 से 6, 9, 18, 24, 31, 32 की सम्मन तामील असालतन, प्रतिवादी नम्बर 7, 16 की तामील परिवार के निकटतम सदस्य पर व प्रतिवादी नम्बर 26 से 31 की सम्मन तामील इन्कारी/चस्पान्दगी से होकर लौटी हैं। जो पर्याप्त हैं। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 से 6, 7, 9, 16, 18, 24, 26 से 31, 32 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। शेष प्रतिवादीगण संख्या 8, 10 से 15, 17, 19, 33 से 35, 37, 38 एवं प्रतिवादी संख्या–2 के वारिसान् कायम मुकामी संख्या 2/1 से 2/8 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो चूकी हैं । बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 8, 10 से 15, 17, 19, 33 से 35, 37, 38 एवं प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी नम्बर 20 लगायत 23 व 25 की ओर से श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका एड0 ने इकबाली जवाब दावा पेश किया। वकील वादीगण ने पूर्व मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कायम मुकामान प्रतिवादी नम्बर 2 को स्वीकार किए जाने का निवेदन किया। ... वकील प्रतिवादीगण ... किये जाने बाबत सहमति ... कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर करते हुए ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 12:39:37 IST
Reason: SelfAttested

28/08/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

व्यक्त की। वकील प्रतिवादीगण की अनापत्ति के आधार पर वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत
प्रार्थना पत्र कायम मुकामान बाबत प्रतिवादी नम्बर 2 मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद
अधिनियम स्वीकार किया जाता है। वकील वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत प्रतिवादी
संख्या 36 के फौत होने तथा उसके वारिसान के पूर्व से प्रकरण में वादीगण एवं
प्रतिवादीगण संख्या 32 लगायत 35 होने से मृत्तक प्रतिवादी संख्या 36 का नाम दावे से
हजफ किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण ने कोई
आपत्ति नहीं होना प्रार्थना पत्र पर अंकित करते हुए अपनी सहमति व्यक्त की। वकील
प्रतिवादीगण की अनापत्ति के आधार पर वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार
किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 36 का नाम वादपत्र से हजफ किये जाने की स्वीकृति
दी जाती हैं। वकील वादीगण ने संशोधित शीर्षक वादपत्र पेश किया। साक्ष्य वादी में
वादी भवानी सिंह व वादी साक्ष्य गवाह में लक्ष्मणसिंह, सुरेन्द्र कुमार कुमावत के लिखितशुदा
शपथ पत्र पेश किये गये। प्रकरण में पक्षकारान प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के पक्ष में
इकबाली जवाब दावा पेश कर दिये जाने एंव अन्य समस्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध
एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की जाकर
सीधे ही बहस सुनी जाने का निवेदन वकील वादीगण द्वारा किया गया। वकील वादीगण
के निवेदन पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान सुनी गई।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस बहुपक्षीय सुनी। पत्रावली
का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस पर सगौर मनन किया।
पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार
जमाबंदी सम्वत 2058–2061, 2070–2073, के अनुसार ग्राम श्रीमाधोपुर जिला सीकर
राज0 के वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 765/1 रकबा 0.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 764
रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 755 रकबा 0.17 ... श्रीमाधोपुर तहसील

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 12:39:37 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड खातेदारी में वादीगण के मृत्तक पिता केशर सिंह पुत्र गणपत सिंह व मृत्तक दादी बदन कॅवर बेवा गणपत सिंह के नाम व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिसमें प्रस्तुत सजरा खानदान के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार से होकर एक ही खानदान के व्यक्ति है। जिसके अनुसार उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियॉ वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त परिवार की पैत्रृक कृषि भूमियॉ होना प्रतित होती है। उक्त भूमियों का पक्षकारान् के मध्य आपस में बाहमी बंटवारा मौके पर होकर काबिज काश्त होना प्रकट होता है। जमाबन्दी सम्वत् 2058 से 2061 में खसरा नम्बर 764 रकबा 0.03 हैक्टर व 765 रकबा 0.62 हैक्टर की खातेदारी बदन कॅवर बेवा गणपत सिंह व केशर सिंह पुत्र गणपत सिंह हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 765/1 का मूल खसरा नम्बर 765 रकबा 0.62 हैक्टर था। जिसमें से रकबा 0.02 हैक्टर भूमि की खातेदारी नगरपालिका श्रीमाधोपुर के नाम स्वीकार होना प्रकट होती है तथा शेष रकबा 0.60 हैक्टर भूमि बचती है जिसके नवीन खसरा नम्बर 765/1 रिकार्ड में दर्ज होना प्रकट होता है। उक्त कृषि भूमि कृषि भूमि खसरा नम्बर 765/1 रकबा 0.60 हैक्टर मे से 0.16 हैक्टर पश्चिमी दिशा की भूमि प्रतिवादीगण संख्या 20 ता 23 के हिस्से में आकर काबिज काश्त होना तथा शेष भूमि 0.44 हैक्टर में से 0.07 हैक्टर भूमि वादीगण के पूर्वजों के द्वारा दीगर व्यक्तियों को पूर्व में बैचान कर दिये जाने के उपरान्त शेष 0.37 हैक्टर भूमि पूर्वी दिशा पर वादीगण काबिज काश्त होना प्रकट होता है। वादीगण के द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि पर काबिज काश्त होकर निरन्तर काबिज चले आने से उक्त लम्बे समय से कब्जे के आधार पर विपरित कब्जा के सिद्धान्त पर वादीगण ने भूमि [illegible] खातेदार काश्तकार हो जाने से उक्त खातेदारी अधिकारों की घोषणा [illegible] कानूनन अधिकारी होना बहस

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 12:39:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

28/08/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

के दौरान अवगत कराया है। प्रतिवादीगण संख्या 20 लगायत 23 व 25 के द्वारा वादीगण के वादपत्र को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब दावा पेश किया है। प्रकरण में अन्य प्रतिवादीगण के बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। वादीगण की साक्ष्य में पेश वादी भवानी सिंह व वादी गवाह में पेश लक्ष्मणसिंह, सुरेन्द्र कुमार कुमावत के द्वारा प्रस्तुत लिखितशुदा शपथ पत्रों से भी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित तथ्यों को बल मिलता है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के पक्ष में प्रस्तुत किये गये इकबाली जवाब दावा के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड एंव स्थाई निषेधाज्ञा को न्यायहित में स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपयुर्क्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 765/1 रकबा 0.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 764 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 755 रकबा 0.17 हैक्टर तन् ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में से वादीगण को भूमि खसरा नम्बर 765/1 रकबा 0.60 हैक्टर मे से 0.37 हैक्टर पूर्वी दिशा व खसरा नम्बर 764 सम्पूर्ण व 755 रकबा 0.17 हैक्टर सम्पूर्ण का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि से प्रतिवादीगण एवं इनके मृत्तक पूर्वज [illegible]सिंह, भंवरसिंह पुत्र भोपालसिंह, बदन कंवर पत्नि गणपतसिंह [illegible] सीताराम, जयप्रकाश पुत्रगण सुवालाल, सवाईसिंह, बदनसिंह पुत्र [illegible] कंवर पत्नि रिछपालसिंह का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 12:39:37 IST
Reason: SelfAttested

28/08/23
(दिलीप सिंह)
/ उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा भूमि खसरा नम्बर 765/1 रकबा 0.60 हैक्टर में से 0.16 हैक्टर पश्चिमी दिशा का प्रतिवादीगण नम्बर 20 ता 23 के नाम तथा शेष बची 0.07 हैक्टर भूमि का राजस्व रिकार्ड यथावत रखे जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एव उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करें एंव ना ही दीगर से करावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

28/08/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 28.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/08/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 12:39:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)